

भा0कृ0अ0प0-केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान  
मखदूम, फरह-281122, मथुरा (उ0प्र0)

पत्रांक : 5-16(3)/सी.पी.एण्ड सी./2019

दिनांक: 18.12.2019

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान की अतिरिक्त भेड़, बकरी व इनके बच्चे, मांस, खाल एवं स्लॉटर प्रोडक्ट्स की बिक्री का वार्षिक अनुबन्ध अधिकतम बोली के आधार पर आगामी एक वर्ष के लिए दिनांक 23.12.2019 को प्रातः 11.00 बजे इस संस्थान के केन्द्रीय सभागार में किया जायेगा।

क्र0सं0	नाम वस्तु	दर	धरोहर राशि (रूपयों में)
1.	स्वस्थ भेड़ व बकरी	रूपया (प्रति कि. ग्रा0 जिन्दा वजन)	10,000/-
2.	बीमार, कमजोर, पुरानी, बूढ़ी भेड़ व बकरी	उपरोक्त	5,000/-
3.	मरी हुई भेड़ एवं बकरी की खाल एक दिन से अधिक आयु की	प्रति नग	5,000/-
4.	स्वस्थ भेड़ एवं बकरी के स्लॉटर से प्राप्त सरप्लस मांस	प्रति किलो	5,000/-
5.	स्लॉटर प्रोडक्ट्स: सिर, पैर, पेट, ऑतडी एवं फेफड़ा, कलेजी, चर्बी, दिल, तिल्ली, गुर्दा, अग्नाशय, टेस्टीज आदि	प्रति सैट	5,000/-
			कुल योग रु.30,000/-

नोट :

1. धरोहर राशि रु.30,000/- केवल डिमान्ड ड्राफ्ट/नगद के द्वारा ही जमा की जायेगी। डिमान्ड ड्राफ्ट 'आई.सी.ए.आर. यूनिट, सी.आई.आर.जी. मखदूम', के पक्ष में जो कि पंजाब नेशनल बैंक, फरह पर देय हो जमा करना होगा।
2. सफलतम बोलीदाता द्वारा जमा धरोहर राशि को ही जमानत राशि के रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा।
3. असफल बोलीदाता द्वारा जमा धरोहर राशि कोनीलामी के तुरन्त बाद वापिस कर दिया जायेगा।
4. उपरोक्त नीलामी सूचना अन्य शर्तें व विवरण सहित संस्थान की वेब साइट [www.cirg.res.in](http://www.cirg.res.in) पर भी देखी जा सकती है।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

भा0कृ0अ0प0—केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान  
मखदूम, फरह—281122, मथुरा (उ0प्र0)

भेड, बकरी, मांस, खाल ऍव स्लॉटर प्रोडक्ट्स की नीलामी की शर्तें

1. बोली लगाने का अधिकार निर्धारित धनराशि जमा करने पर ही होगा ।
2. अधिकतम बोली लगाने वाले को ही आगामी एक वर्ष के लिए ठेका दिया जायेगा । धरोहर राशि सफल बोली लगाने वाले को छोड़कर नीलामी के उपरान्त ही वापिस कर दी जायेगी ।
3. जिस जानवर को संस्थान द्वारा दिया जायेगा, वही लेना होगा ।
4. ठेकेदार को समय से खाल उठानी होगी ।
5. यदि ठेकेदार बीच में इस संस्थान की शर्तों के अनुसार अपना ठेका पूरा नहीं करेगा, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में कोई सुनवाई नहीं होगी ।
6. अन्य शर्तें यदि कोई होंगी तो नीलामी के समय सूचित कर दी जायेंगी ।
7. इस संस्थान के निदेशक को बिना कारण बताये किसी भी बोली को पूर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, तथा निदेशक का निर्णय हर परिस्थिति में अन्तिम तथा मान्य होगा ।
8. ठेके के दौरान यदि कोई विवाद उठता है तो उसका निपटारा मथुरा जनपद न्यायालय द्वारा ही निपटाया जायेगा ।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

